

पत्रांक :

दिनांक :

‘कैसा हो माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम’

संगोष्ठी प्रतिवेदन

शैक्षिक मंथन संस्थान, जयपुर द्वारा दिनांक 26 अप्रैल 2015 को ‘कैसा हो माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम’ विषय पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में राजस्थान प्रान्त के विभिन्न भागों एवं शिक्षा संस्थानों से आये विभिन्न विद्वानों ने व्यापक चर्चा की।

संगोष्ठी में उपस्थित सभी विद्वानों का मत था कि वर्तमान पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकें दिशाहीन हैं तथा शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रहे हैं, अतः विद्वानों से चर्चा कर उनमें परिवर्तन की आवश्यकता है। 13 से 18 वर्ष के आयुवर्ग को ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम की रचना की जानी चाहिये। माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का पाठ्यक्रम ऐसा हो जो-

1. व्यक्तिगत विकास अर्थात् बालक का शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक एवं आध्यात्मिक (PQ, IQ, EQ, SQ) विकास करने में सक्षम हो।
2. बालक में स्वच्छ आदतों एवं सकारात्मक अभिवृत्तियों का विकास करते हुये उसका चारित्रिक विकास कर सके।
3. दैनिक जीवन की समस्याओं के समाधान हेतु विभिन्न कौशलों का विकास कर छात्र को स्वावलम्बी बना सके।
4. बालक में पारिवारिक दायित्वों की समझ विकसित कर सके।
5. बालक को श्रेष्ठ नागरिक बनाने में योगदान कर सके।
6. सामाजिक वातावरण के प्रति समायोजन, सहजीवन एवं समरसता की भावना का विकास कर सके।
7. सामाजिक, ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत का ज्ञान करवाकर उसके प्रति गौरव की भावना का विकास कर सके।
8. राष्ट्रीयता की भावना एवं अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव का विकास करते हुये राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं का ज्ञान करवाकर उनके समाधान तलाशने के प्रति छात्र को संवेदनशील बना सके।

पत्रांक :

दिनांक :

शिक्षा के तीन मुख्य स्तम्भ होते हैं- शिक्षक, शिक्षार्थी और समाज। इन तीनों स्तम्भों को दृष्टिगत करते हुये ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिये। राष्ट्र निर्माण के लिये अपेक्षित नागरिकों का निर्माण करने हेतु माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को तदनुरूप बनाना होगा। भूमण्डलीकरण के युग में भी राष्ट्रीयता के भाव जगाने वाले बिन्दु पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना आवश्यक है। शिक्षा, जीवन विकास की तैयारी होनी चाहिये परीक्षा की नहीं।

उपर्युक्त अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं का समावेश पाठ्यक्रम में आवश्यक है-

1. पाठ्यक्रम में क्रमबद्धता, एकरूपता एवं अन्तः सम्बन्ध -

विषय वस्तु में व्यष्टि से समष्टि की ओर कक्षावार क्रमबद्धता होनी चाहिये- स्वयं, परिवार, पड़ोस एवं गाँव से सम्पूर्ण चराचर जगत् की ओर। इसी प्रकार विभिन्न विषयों की पाठ्यवस्तु में एकरूपता एवं अन्तःसम्बन्ध होना चाहिये, जिससे विषय वस्तु को उसकी समग्रता के साथ प्रस्तुत किया जा सके।

2. विषय वस्तु संकलन -

पाठ्यपुस्तकों में विषयवस्तु का संकलन एवं प्रस्तुतीकरण (लेखन) इस प्रकार का हो जिससे बालक में सामाजिक गुणों का विकास एवं राष्ट्रीयता का भाव उत्पन्न हो सके। पाठ्यक्रम में भारतीय संस्कृति के वैज्ञानिक पक्ष, सत्साहित्य, संस्कृत भाषा एवं भारतीय विचार और परम्परा को आवश्यक रूप से सम्मिलित किया जाना चाहिये। इसी प्रकार पाठ्यक्रम में राजस्थान और स्थानीयता को भी उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये।

3. कौशल विकास -

माध्यमिक शिक्षा के दौरान कक्षा शिक्षण के समय बालक में विभिन्न प्रकार के कौशल का विकास किया जाये। शैक्षिक कौशल की दृष्टि से विद्यार्थियों में मानचित्र, रेखाचित्र, ग्राफ, चार्ट, चित्र आदि के निर्माण का कौशल विकसित किया जाये। जीवन कौशल की दृष्टि से बालक में सकारात्मक चिन्तन, जीवन लक्ष्य निर्धारण, निर्णय क्षमता, सृजनात्मक चिन्तन, समस्या समाधान, प्रभावी सम्प्रेषण, तनाव एवं संवेगों से जूझना, आलोचनात्मक चिन्तन आदि के विकास का प्रयास किया जाये। व्यावसायिक कौशल की दृष्टि से बालक को कम्प्यूटर का ज्ञान, प्राथमिक चिकित्सा आदि का ज्ञान आवश्यक रूप से कराया जाये। इसके

पत्रांक :

दिनांक :

अतिरिक्त दैनन्दिन जीवन से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के विज्ञान सम्बन्धी कौशल, हस्त कौशल, लघु उद्योग कौशल आदि का प्रशिक्षण ऐच्छिक होना चाहिये। व्यावसायिक कौशल का प्रशिक्षण देने के लिये विद्यालयों के द्वारा आई.टी.आई., उद्योग और कारखानों के साथ सम्पर्क कर उनका सहयोग प्राप्त किया जाये। इस प्रकार सम्पूर्ण पाठ्यक्रम को कौशल विकास के साथ जोड़ना होगा ताकि विद्यार्थी अध्ययन करते समय ही आवश्यक कौशल विकसित कर सके।

4. व्यावहारिकता

बैंक से विभिन्न प्रकार के ऋण प्राप्त करने का ज्ञान, स्थानीय उद्योगों का ज्ञान, लिपि का ज्ञान, स्थानीय जलवायु का ज्ञान, विभिन्न सरकारी योजनाओं का ज्ञान आदि जीवनोपयोगी एवं व्यावहारिक विषय पाठ्यक्रम में सम्मिलित किये जाने चाहिये।

5. योग शिक्षा

छात्र की उर्जा का सकारात्मक उपयोग करने एवं उसके शरीर की पुष्टि हेतु शारीरिक क्रियाओं को पाठ्यक्रम एवं शिक्षण में जोड़ना चाहिये।

शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा में योग का समावेश करने का स्पष्ट उल्लेख होने के उपरान्त भी अभी तक योग को पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया गया है। अब जबकि सम्पूर्ण विश्व ने एक स्वर से योग के महत्त्व को स्वीकार किया है तथा प्रति वर्ष 21 जून को अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का संयुक्त राष्ट्र संघ ने निर्णय लिया है तो हमें अपने माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में योग शिक्षा को अवश्य सम्मिलित करना चाहिये। योग पाठ्यक्रम निम्नांकित बिन्दुओं पर आधारित होना चाहिये-

1. योग की अवधारणा एवं परिचय।
2. योग का लक्ष्य, महत्त्व, आवश्यकता एवं इतिहास।
3. वैदिक वाङ्मय में योग।
4. श्रीमद्भगवद्गीता में योग - ज्ञानयोग, कर्मयोग, भक्तियोग।
5. पतंजलि का योग सूत्र।
6. यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान की उपयोगिता एवं क्रियान्वयन।
7. योग का विज्ञान सम्मत पक्ष।

पत्रांक :

दिनांक :

योग की उपयोगिता

1. योग और तनाव प्रबन्धन।
2. योग से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य।
3. योग से प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण
4. योग का प्रभाव- सकारात्मक जीवन शैली, सात्विक शाकाहारी भोजन।
5. योग से रोजगार प्राप्ति।

व्यावहारिक पक्ष

1. योग शिक्षकों का प्रशिक्षण हो तथा शिक्षक प्रशिक्षण में भी योग को सम्मिलित किया जाये जिससे कि प्रशिक्षित अध्यापक तैयार हो सकें।
2. योग शिक्षक स्वयं भी सदाचारी होना चाहिये।
3. विद्यालयों में योग शिक्षा का उचित समय निर्धारित किया जाये।
4. योग शिक्षा में प्रोजेक्टर एवं सी.डी. का भी प्रयोग किया जा सकता है।
5. प्रार्थना सभा में योगाभ्यास कराया जाये।
6. छात्र की रुचि के अनुसार कोई एक खेल भी अनिवार्य होना चाहिये।

संगोष्ठी में उपस्थित विद्वानों ने माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में कुछ अन्य व्यावहारिक सुझाव भी दिये -

1. छात्रों को विभिन्न प्रकार के शिविरों के माध्यम से सह जीवन का अभ्यास कराया जावे।
2. पाठ्यक्रम के भार के अनुपात में अंक भार का समायोजन किया जाये तथा सहशैक्षणिक गतिविधियों को भी अंकभार प्रदान किया जावे। सह शैक्षणिक गतिविधियों के रूप में हमारे पारम्परिक खेलों को सम्मिलित किया जा सकता है।
3. कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तकों से भी प्रश्न पूछे जायें।
4. पाठ्यपुस्तकों के प्रारम्भ में राष्ट्रगीत एवं अन्त में राष्ट्रगान मुद्रित हो तथा पाठों के अन्त में किसी भारतीय महापुरुष (दार्शनिक) के प्रेरक वाक्य लिखे जायें।
5. गैर प्रायोगिक विषयों में भी प्रायोगिक कार्य जोड़ा जाये।

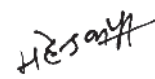
पत्रांक :

दिनांक :

6. सरकार के स्तर पर निर्वाचन आयोग, मानवाधिकार आयोग आदि की तर्ज पर सांविधिक स्वरूप वाले शिक्षा नियामक आयोग का गठन किया जाये।
7. अध्यापकों के शैक्षिक उन्नयन हेतु विभाग द्वारा समय-समय पर प्रशिक्षण एवं दक्षता उन्नयन कार्यशालाओं का आयोजन करवाया जाये।
8. शोध एवं नवाचारों को प्रोत्साहन देने की व्यापक योजना बनाई जाये।
9. शिक्षा की राष्ट्रीय संकल्पना को ध्यान में रखते हुये, भारतीय अस्मिता के मानदण्डों का, भारतीय वैज्ञानिक प्रतिभाओं का, भारतीय महापुरुषों एवं विद्वानों का जीवन परिचय स्तरानुकूल दिया जाना चाहिए।
10. तकनीकी दक्षता का सामयिक प्रशिक्षण भी विद्यार्थियों को दिया जाना चाहिए।
11. शिक्षा को विद्यार्थी केन्द्रित बनाकर उसकी गुणवत्ता में सुधार और उपयोगिता पर केन्द्रित किया जाना चाहिए।

अतः माध्यमिक शिक्षा को गति एवं उचित दिशा प्रदान करने के लिये उपर्युक्त सुझावों को सम्मिलित करते हुये नवीन पाठ्यक्रम का निर्माण कर अतिशीघ्र नवीन पाठ्यपुस्तकों का निर्माण करवाया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

भवदीय



(महेन्द्र कपूर)

सचिव